भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3207
उत्तर देने की तारीख 11 मार्च, 2026

कासरगोड में उप-डाकघर को बंद करना

3207. श्री राजमोहन उन्नीथन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परिचालनात्मक अथवा राजस्व संबंधी बातों का हवाला देते हुए कासरगोड जिले में तलंकारा, उप्पला गेट और होस्बेट्टू डाकघरों को बंद करने अथवा विलय करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि ये डाकघर सीमित विकल्पों के साथ ग्रामीण और तटीय आबादी को पेंशन, बचत योजनाओं और डाक बैंकिग सहित आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की समाप्ति से पहले सामाजिक प्रभाव का कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दूरस्थ और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में डाक सेवाओं की निरंतरता और वित्तीय समावेशन को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) विभाग के मानदंडों अर्थात दूरी/जनसंख्या/आय संबंधी मानदंडों को पूरा न करने वाले डाकघरों का या तो विलय कर दिया जाता है या उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाता है। चूकिं उप्पला गेट और होस्बेट्टू शाखा डाकघर इन मानदंडों को पूरा नही करते, अतः इनका विलय किया जाना है। तथापि तलंकारा (तलंगारा) उप-डाकघर के विलय की कोई योजना नहीं है।

(ख) ये डाकघर ग्रामीण और तटीय आबादी को उसी प्रकार विभिन्न डाक सेवाएं प्रदान करते हैं जैसी देश में अन्य किसी डाकघर द्वारा प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं में मेल, बैंकिंग, बीमा, प्रत्यक्ष लाभांतरण आदि सेवाएं शामिल हैं। यद्यपि, उपर्युक्त डाकघरों का विलय विभाग के मानदंड पूरे नहीं किए जाने के कारण किया गया है। तथापि, इन क्षेत्रों की जनता को अन्य निकटवर्ती डाकघरों के माध्यम से डाक और बैंकिंग संबंधी सेवाएं निर्बाध रूप से प्रदान की जा रही हैं।

(ग) जी हां। उपर्युक्त डाकघरों के विलय की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व इसके सामाजिक प्रभाव का आकलन किया गया है। तत्संबंधी विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए डाक मेले आयोजित किए जाते हैं और अन्य विशेष अभियान चलाए जाते हैं। डाक विभाग डाकघरों के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से मेल डिलीवरी सेवाओं सहित सभी आवश्यक डाक सेवाएं प्रदान करता आ रहा है। साथ ही यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करता है। ये सेवाएं सभी दूरस्थ और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों सहित देश भर में अनवरत रूप से प्रदान की जाती रहेंगी।

****

अनुबंध

"कासरगोड में उप-डाकघर को बंद करना" विषय पर दिनांक 11 मार्च, 2026 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 3207 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

1. जहां तक तलंकारा (तलंगारा) डाकघर का संबंध है, इसके क्षेत्राधिकार में कोई भी पेंशन लाभार्थी नहीं आता। तलंगारा डाकघर के कासरगोड प्रधान डाकघर में विलय के प्रस्ताव पर जब विचार किया गया, उस समय वहां केवल 1,886 खाते थे, जिनमें से बचत खातों की संख्या केवल 450 है। तथापि, वहां 1,211 आवर्ती जमा खाते मौजूद हैं, इनमें से अधिकतर खाते 'महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एमपीकेबीवाई)' एजेंटों के माध्यम से तलंगारा क्षेत्र के बाहर के जमाकर्ताओं द्वारा खोले गए हैं। इसके अलावा, वहां 2 अन्य सहकारी बैंक (केरल बैंक और कासरगोड टाउन सहकारी बैंक) भी काम कर रहे हैं। अतः विलय की इस प्रक्रिया का वित्तीय समावेशन पर कोई गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

2. जहां तक उप्पला गेट शाखा डाकघर का प्रश्न है, इस वित्तीय वर्ष के दौरान केवल 26 नए खाते खोले गए और इस डाकघर में मौजूद खातों की कुल संख्या 264 है। इसी प्रकार, होस्बेट्टू शाखा डाकघर में केवल 236 खाते मौजूद हैं और निकटवर्ती उप डाकघर और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय समावेशन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। होस्बेट्टू शाखा डाकघर ने दिनांक 30.09.2025 तक केवल 40 नए खाते खोले हैं। जबकि, चालू वित्त वर्ष में बीओ द्वारा न्यूनतम 400 खाते खोलना अपेक्षित है।

****